Form no. 111 **App -A** **crim -1**

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेडा जिला बून्दी

सौरभ गोयल .... बनाम प्रेमदेवी पुत्री नन्दसिंह.......

किस्म मुकदमा:-151,152 CPC नं.346./प्रा0पत्र/सत्र/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3/4/2025	प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थी मय वकील उपस्थित है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 9/4/25 को पेश हो।	
9/4/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 16/4/25 को पेश हो TDR रिपोर्ट प्राप्त। जवाब पेशी मार्फत सरकार प्राप्त।	
16/4/25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 6 बावजूद सूचना अनु० अप्रार्थी सं. 1 लगा. 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस सुनी गई। बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व रिपोर्ट TDR Talera का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत: प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
346/प्रा.पत्र/2025	03.04.2025	16.04.2025

सौरभ गोयल उम्र वयस्क आत्मज अनिल गोयल निवासी मकान नं 14–1 बल्लभ नगर लाडपुरा तहसील जिला कोटा

प्रार्थी/वादी

बनाम

1. प्रेमकंवर पुत्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बुन्दी
2 भंवर बाई पुत्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बुन्दी
3 किशन बाई पत्नी नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बुन्दी
4. मदन सिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड, तहसील तालेडा जिला बुन्दी
5. रामसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी
6. सोभाग सिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बुन्दी
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री पंकज पांचाल
अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 151, 152 जा०दी

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / वादी के द्वारा माननीय न्यायालय मे उपरोक्त उनवानी वाद से भुमि खसरा स. 212 रकबा 0.3157 हैक्टेयर खसरा सं. 203 रकबा 0.7932 हैक्टेयर जो वाके ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण से माप व सीमांकन के आधार पर कब्जा कास्त अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु पेश किया था। प्रार्थी खसरा स. 212 पर मोके पर पूर्व से पश्चिम दक्षिण दिशा में काबिज काश्त था तथा प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त काबिज काश्त अनुसार बाउड़ीवॉल भी करवा रखी है। उपरोक्त उनवानी वाद मे दिनांक 25.09.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी जारी की गई जिसकी पालना में दिनांक 23.10.2024 को बटवारा प्रस्ताव पत्र तहसीलदार तालेडा के द्वारा जारी किया गया। उक्त बटवारा प्रस्ताव पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा अन्तिम डिकी दिनांक 21.01.2025 को जारी की गई। हल्का पटवारी के द्वारा उक्त डिकरी की पालना की गई। आज दिनाक 27.03.2025 को प्रार्थी जब हल्का पटवारी को उक्त डिकी का पालना में वादी की भुमि का सीमांकन करने के लिये मौके पर लेकर गया तो पता चला की बंटवारा प्रस्ताव पत्र दिनाक 23.10.2024 प्रार्थी के खसरा सं 212 में कब्जा कास्त अनुसार तैयार नही किया गया तथा नियम 18 एवं 27 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की भी पालना नही की गई। जहां खसरा सं 212 पर प्रार्थी पूर्व से पाश्चिम दक्षिण दिशा में काबिज था जहां पर प्रार्थी द्वारा उपरोक्तानसार बाउड़ीवॉल भी करवा रखी है। वहां पर प्रार्थी को पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण तरमीम कर प्रार्थी का हिस्सा दर्शा दिया गया। उक्त भूमि एन एच 52 पर स्थित है तथा हाईवे के सहारे प्रतिवादीगण का हिस्सा तरमीम कर दिया गया जो कि बटवारे के मूलभूत सिद्धान्त अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भुमि बंटवारे मे दिये जाने का भी उल्लंघन किया गया। तहसीलदार व हल्का पटवारी के द्वारा मौके पर नही जाकर तहसील कार्यालय मे ही बटंवारा प्रस्ताव पत्र तैयार कर लिया गया तथा तत्समय प्रार्थी को आश्वस्त किया गया कि आपकी मौका स्थिति के अनुसार ही बटंवारा प्रस्ताव पत्र तैयार किया गया है प्रार्थी नक्शे में दिशाओ मे नही समझ पाया जिस कारण प्रार्थी के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये तथा न्यायालय में भी उक्त बटवारा प्रस्ताव पत्र पर प्रार्थी के द्वारा आपत्ति पेश नही की गई। उक्त बटवारा प्रस्ताव पत्र दिनाक 23.10.2024 प्रार्थी को भ्रम में डालकर तैयार किया गया था जिसमे पूर्णतया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित नियम 18 से 21 की पूर्णतयाः उपेक्षा की गई तथा प्रार्थी को जानबुझकर 'कब्जा काश्त अनुसार जहां हाईवे से दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम राजस्व नक्शे में खसरा सं 212 को तरमीम करना चाहिए था वहां पर दक्षिण दिशा मे तरमीम कर प्रतिवादीगण के हिस्से को हाईवे किनारे तरमीम कर दिया जिससे प्रतिवादीगण के हिस्से की

न्यवेशन बढ़ा दी गई तथा प्रार्थी के लिए अपने हिस्से की भूमि पर आने–जाने के लिए रास्ता भी नही छोडा। इस प्रकार तहसीलदार तालेडा जो कि उक्त वाद में कमिश्नर नियुक्त किया गया था के द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई है जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति हुई है। क्योंकि बंटवारा प्रस्ताव पत्र भूमि के समानुपात में विभाजन नही किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव पत्र दिनांक 23.10.2024 विधि विरूद्ध तैयार किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव पत्र के आधार पर जारी की गई अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2025 भी निरस्त किये जाने योग्य है। बंटवारा प्रस्ताव पत्र दिनांक 23.10.2024 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2025 के निरस्त कर पुनः बंटवारा प्रस्ताव पत्र तहसील कार्यालय तहसीलदार तालेडा से प्राप्त कर पुनः अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित मे अति आवश्यक है ताकि उपरोक्त वाद में विधि अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो सके। उपरोक्त अन्तिम डिक्री के आधार पर राजस्व नक्शे तरमीम की जानकारी प्रार्थी को आज दिनांक 27.03.2025 को मौके पर हल्का पटवारी को मौके पर ले जाकर नक्शा देखे जाने पर प्रथम बार जानकारी हुई जानकारी के पश्चात बिना विलम्ब के प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में अन्दर अवधि प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर बटवारा प्रस्ताव पत्र दिनाक 23.10.2024 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2025 के निरस्त कर पुनः बंटवारा प्रस्ताव पत्र तहसील कार्यालय तहसीलदार तालेडा से प्राप्त कर पुनः अन्तिम डिक्री जारी करने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया ।

अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं0 7 ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम जास्वमुण्ड में ख0सं0 1409/212 रकबा 0.1578 हैक्टे.भूमि सोरभ गोयल पि0 अनिल गोयल जाति महाजन निवासी कोटा तथा ख0सं0 1410/212 रकबा 0.1579 हैक्टे. भूमि मदनसिंह, रामसिंह, सोभाग सिंह पि0 नन्दसिंह जाति राजपुत नि0 जास्वमुण्ड के नाम खाते दर्ज है। ऑनलाईन नक्शे में ख0सं0 1410/212 की भूमि एनएच 52 पर पूर्व दिशा में दर्शाई हुई है। जबकि ख0सं0 1409/212 पश्चिम दिशा में दर्शाई हुई है। मौके पर वादी व प्रतिवादी दोनो की भूमियॉ एन.एच. 52 पर स्थित है। वादी का मौके पर ख.नं. 212 के दक्षिण दिशा में ख0सं0 230 की भूमि के लगवा कब्जा है तथा प्रतिवादी का मोके पर ख0नं0 212 के उत्तर दिशा में ख0नं0 1323/211 की भूमि के लगवा कब्जा है मौके पर वादी द्वारा चारदिवारी कर रखी है। रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम शुद्वि किये जाने की अनुशंषा की।

बहस वकील वादी सूनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी की भूमि ख0सं0 1409/212 एवं प्रतिवादी की भूमि ख0सं0 1410/212 की तरमीम पूर्व–पश्चिम में दर्ज रेकार्ड कर दी गई, जबकि वादी का मौके पर ख.नं. 212 के दक्षिण दिशा में ख0सं0 230 की भूमि के लगवा कब्जा है तथा प्रतिवादी का मोके पर ख0 नं0 212 के उत्तर दिशा में ख0नं0 1323/211 की भूमि के लगवा कब्जा है एवं उसी कब्जा कास्त अनुरूप वादी प्रार्थी ने अपनी भूमि पर चारदिवारी बनायी है। किन्तु दिशा की जानकारी के अभाव में प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज नही की गई। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव में दोनो पक्षकारान् को भूमि के रकबे का राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्सा अनुसार ही रकबा प्रस्तावित है केवल दिशा भ्रम होने से मोके पर तरमीम पूर्व में प्रतिवादी व पश्चिम में वादी की भूमि गलत दर्ज की गई जबकि पक्षकार वादी भूमि ख0 सं0 230 की ओर एवं वादी की भूमि के उत्तर में 1323/211 के लगवा प्रतिवादी काबिज कास्त है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए वादी की भूमि ख0 सं0 1409/212 को ख0सं0 230 के समीप एवं प्रतिवादी की भूमि ख0सं0 1410/212 को ख0सं0 1323/211 के समीप वादी की भूमि के उत्तर की ओर रास्ते पर पूर्व से पश्चिम की ओर कब्जा कास्त अनुसार दर्ज किया जावे। रकबा पूर्व आदेश दिनांक 21.01.2025 अनुसार यथावत रहेगा। तहसीलदार तालेडा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 09.04.2025 निर्णय का भाग रहेगी। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति मूल बटवारा पत्रावली 37/दावा/2023 निर्णय दिनांक 21.01.2025 में संलग्न की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा